

घरेलू हिंसा नियंत्रण में कानूनी विसंगति

पिछले साल की बात है। किसी ने फेसबुक पर एक वीडियो साझा किया था... चलती सड़क, साइकिल, कारों, बसों की डौड़-भाग। आते-जाते लोग। अचानक घर से एक पली-दुबली औरत निकलती है। उसने साड़ी पहन रखी है और सिर ढका हुआ है। उसके हाथ में एक पेंडे से तोड़ी हुई छड़ी है। तभी कैमरा एक बहेड़ बूढ़ी, कृष्णायाम, शरीर पर नामामकर को सफद धूती पढ़ने एक दूसरी औरत पर फोकस करता है। छड़ी हाथ में पकड़े हुए और उस बूढ़ी स्त्री की तरफ बढ़ती है और हाथ पकड़कर इसे खींचने लगती है। जब यह स्त्री इधर-उधर होती है, तो वह इसे लगभग जर्मन पर दे मारती है। किर हाथ की छड़ी से इसे मारती ही जाती है—

हाँ उसके बाद फिर से उस घटासता है और फिर जर्मीन पर पटकती है। फिर मारती है। बार-बार ऐसा होता ही जाता है। वह बूझी और तो जार-जोर से चिल्हा रही है। सड़क पर आने-पाने वाले उसे पिटते देख रहे हैं। अंडोली-पड़ाखली भी उसकी चौख-पुकार को सुन रहे होंगे, लेकिन कोइ उसे बचाने नहीं आया। जिस तरह से उसे बार-बार जर्मीन पर पटका गया, छड़ी से तड़पड़ी पीटा गया इससे उसे कितनी चोट लाई होगी, इसे बीड़ियों देखकर महसूस किया जा सकता है।

मगर महिला आयोग, या मानवाधिकार आयोग की नजरों से शायद वह बीड़ियों नहीं गुजरा। नहीं पता कि कहां का था। देश के किस हिस्से में बनाया गया था, लेकिन इन्हाँ भयावह था कि रोटों खड़े हो जाते थे। एक युवा स्त्री करके, पिटाई और तरह-तरह की हिंसा सहते रहते हैं, मगर मुझ नहीं खोलते। अगर बेटे या परिवार के अन्य सदस्य बचाने भी आएं तो भी बच नहीं पाते। इस तरह की घरेलू हिंसा झेलने को वे अभिप्राण हैं। वैसे तो अबसर लोग किसी

A composite illustration composed of three distinct panels. The top-left panel shows a woman's head in profile, facing right, against a solid pink background. The bottom-center panel is a larger yellow square containing a woman's face with long dark hair, wearing a blue sari and large hoop earrings. The top-right panel shows a close-up of a woman's eyes and nose against a solid blue background.

के घर के मामले में बीच में बोलने से इसलिए भी बचते हैं कि क्या पता उन पर ही कोई ऐसा आरोप लगा दिया जाए जिससे कि उनका बचना मुश्किल हो जाए। या कि किसी को बचाने जाए और पुलिस कोर्ट-कचहरी के चक्कर में फंस जाए। अपने यहां यदि इस तरह की हिंसा औरत ही औरत के ऊपर कर रही है तो उससे बचने का क्या उपाय है। कैसे कानून ऐसी असहाय स्थितों की मदद करेगा।

इह बार तो ऐसा होता है कि घर की बहू पृथ्वी परिवार के खिलाफ धरेल हिंसा का मामला दाखिल करा देती है। और पुरा परिवार कानून विशेषज्ञों में आ जाता है। लैगिंग कानूनों की हालत भी यह है कि एक बार किसी का नाम लगा भर दो, कि वह अपराधी सांवित कर दिया जाता है। हाल ही में एक मामला कोर्ट में ऐसे

ही आया था। इसमें एक महिला ने अपने सास, ससुर, देवर, देवरानी और ननद पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। लेकिन कोटि में यह पूरा मामला ही गलत साबित हुआ। पता चला कि शिकायत दर्ज करने वाली महिला जिस मकान में अपने पति के साथ रहती है, उसके सास-ससुर की है, लेकिन वे किराए के घर में रहते हैं। अदालत ने कहा कि इस मामले को देखने से पता चलता है कि महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित नहीं है। बल्कि जायदाद पर अधिकार करने के लिए वह इस कानून का सहारा ले रही है। जब सास-ससुर साथ रहते ही नहीं तो वे महिला को सता कैसे सकते हैं। जबकि इन बुजुंगों को अपना ही घर छोड़कर किराए पर रहना पड़ रहा है। इसी मामले में 2016 में वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण व कल्याण अधिकरण ने महिला और उसके पति को मकान खाली करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा सम्बन्धित क्षेत्र के थानेदार को भी इन बुजुंगों की सुरक्षा के लिए एक सिपाही की तैनाती की व्यवस्था करने को कहा गया था। तब शिकायत करने वाली महिला के पाति ने अपने माता-पिता से माकी मांगी थी और समझौता कर लिया था। माता-पिता को फिर तंग किया जाने लगा। तब पूर्वी दिल्ली के डीएम ने चौबीस घंटे में मकान खाली करने के निर्देश दिए थे। लेकिन महिला द्वारा मकान खाली करना तो दूर, उलटे सास-ससुर तथा देवर, देवरानी पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा दिया। इसी कारण अदालत को यह कठोर टिप्पणी भी करनी पड़ी कि घरेलू हिंसा कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। देखने की बात यह भी है कि यह मामला दिल्ली का था इसलिए त्वरित न्याय भी हुआ और प्रकाश में भी आया। जबकि पूरे देश में ऐसे बेशुमार घटाएँ होते होंगे, जिनकी चर्चा भी नहीं होती। यदि आपे वाली खबरों को देखते हों तो पता चलता है कि आजकल महिला कानून जिसमें देखें निरोधी अधिनियम के अंतर्गत आपे वाली धारा 498 ए, घरेलू हिंसा और यौन प्रताड़ना, इनका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। जिन लोगों के खिलाफ इन कानूनों को आधार बनाकर शिकायतें की जाती हैं उनमें से अनेक शिकायतें झूटी पाई जाती हैं। लेकिन झूटी शिकायतें करने स्थितियों पर शायद ही कोई कठोर कारबाई होती है। यदि इसे ऐसे मामलों की बाइं आई रहती है। यदि झूटी शिकायतें करने वाली औरतों के खिलाफ कड़ी कारबाई की जाए तो दूसरों का हैसला न बढ़े कि जब चाहों तब इन कानूनों का दुरुपयोग होने लगे। जो कानून सताइ गई महिलाओं को न्याय देने के लिए बने हैं वे दूसरों को सताने लाने और जो इन कानूनों का दुरुपयोग कर रहे हैं उनका कुछ न बिगड़े। कायदे से तो ऐसी स्थितियाँ-पुरुषों के दंड मिलाना चाहिए जिससे कि दूसरों को भी सबक मिले। यदि कानून का दुरुपयोग होने लगे तो फिर उसे बने रहने का भी क्या औचित्य है। क्योंकि कानून का काम न्याय देने का होता है न कि अन्याय करना।

संपादकीय नरोदा का नासूर

वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद के नरोदा गाम इलाके में हुए दंगों से जुड़े तमाम सवाल दो दशक के बाद भी अनुसृति ही है। इस रक्तरन्तिज हत्याकांड में ग्यारह लोगों की मौत हुई थी। हाल ही में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने सभी शेष 67 आरोपियों को बरी कर दिया। इस दंगों के मामले में सवालों के घेरे में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनी व बत्तरंग दल के पूर्व नेता बाबू जवरीय भी शामिल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस मामले में कुल 86 आरोपियों में से 18 की मुकदमे के दौरान ही मौत हो गई थी। निश्चित रूप से यह फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि इस मामले में जांच का स्तर नीचा रहा, आधी-अधूरी चार्जशीट दाखिल की गई और कमज़ोर तर्कों से केस आगे बढ़ावा गया। निस्संदेह इन आरोपियों को अपर्याप्त साक्ष्य के चलते अदालत ने आरोप मुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि नरोदा गाम संहार वर्ष 2002 के नौ प्रमुख सांप्रदायिक दंगों में से एक था। जिसको जाच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक एसआईटी ने की थी। कालातंत्र इस मामले की सुनवाई एक विशेष अदालत ने की थी। दरअसल, 27 फरवरी, 2002 को गोधरा में देन में गुजराती हुई थी। उसके उपरांत पूरे राज्य में दंगे भड़क उठे थे। बास्तव में देन में जेलकर मरने वालों में जारी थे, जिनमें अधिकांश अयोध्या से लौट रहे तीरथायी थे। उल्लेखनीय है कि इसी साल नववरी में भी गुजरात की एक अदालत ने सभी 22 अभियुक्तों को बरी कर दिया था। दरअसल, सुनवाई के दौरान आठ आरोपियों की मौत हो गई थी। यहां भी सबूतों के अभाव में आरोपियों के बरी होने की बात कही गई। कहा जाता है कि वर्ष 2002 में हुए दंगों को स्वतंत्र भारत में हुए सबसे भीषण दंगों के रूप में देखा जाता है। लैंकिन हाल के फैसलों में अभियुक्तों का बरी होना दशकों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिये झटका जैसा ही रहा। पीड़ित पक्ष के लोग आरोपियों को दी गई राहत पर सवाल उठाते रहे हैं। इससे पहले भी नरोदा पाटियां दंगे मामलों में गुजरात सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनी को बड़ी सजा सुनाई गई थी। कालातंत्र गुजरात उच्च न्यायालय से उन्हें राहत मिल गयी थी। वही अल्पसंख्यक सुमदय व्यक्ति के लोगों में बिलकुस बानो केस में जेल में सजा काट रहे अभियुक्तों की जल्दी रिहाई को लेकर भी आक्रोश देखा गया। पीड़ित पक्ष के लोग न्याय की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। विडंबना ही है कि हमेसा से ही सांप्रदायिक दंगों में ऐसे लोगों को सब कुछ गंवाना पड़ता है, जिनका ऐसे मामलों से दूर-दूर तक का बास्ता नहीं होता। इस अन्याय से मुक्त की आस में वे न्याय व्यवस्था की ओर उत्तीर्ण से देखते हैं। लैंकिन जब उठें वहां से भी न्याय नहीं मिलता तो निश्चित रूप से दुनिया व आक्रोश उठें निशाचर व अवसाद के दलदल में धकेल देता है।

के बाद जो हुआ, उससे भला कौन सा है? यह गृहशन नदा के साहिय के क्षेत्र में देने की दर थी कि उन्हें हाथों-हाथ लिया जाए। 1960 से 1970 के दशक में उन्होंने अपनी दूसरा को जिन ऊंचाइयों पर पहुँचाया है इस दूसरा लेखक हूँ भी न सका। यह बात कई जानी है कि 'भगवान्

जी को पहले नम्बर पर रखा जाए तो आगे की
नौ जगह खाली दिखाई देना लाजिमी थी।
लिहाजा उनके बाद कोई नाम कविलेजिक्र
होगा तो 11वें नम्बर पर होगा।'

जब उनके उपन्यासों ने तहलका मचाना शुरू कर दिया तो उन्होंने मुंबई की ओर रुख किया। वहाँ उन्होंने फिल्मी लेखन में हाथ आजमाया और दो दर्जन से अधिक सफल फिल्मों की कहानियाँ लिखीं। फिल्मफेयर अवार्ड के 'बेस्ट स्टरी' वर्ग में उनका कहीं बार नामांकन हुआ। इनमें 'कातन', 'लालकमल', 'खिलौना', 'कटी पतंग' और 'नया ज़माना' फिल्म प्रमुख हैं। सभी प्रकाशक नंदा जी को छापने के लिए होड़ में लगे थे। लेकिन नंदा साल में केवल एक उपन्यास लिखते थे। ऐसे में उनके ऊपर 'एक अनार सौ बीमार' वाली कहावत चरितार्थ होती थी। जब वे दिल्ली आते थे तो प्रकाशक अटेंची में रुपये भरकर उनके पास लाते थे और उनके मना करते-करते भी छोड़ जाते थे। ऐसी थी गुलशन नंदा की सफलता। एक ऐसे व्यक्ति की सफलता जो अगर चुटीयों का समान करने का सहायता न जुटाते तो शायद सारी जिंदगी एक चश्मे की दुकान पर गुमानी में बिता देते। अब वह चश्मे की दुकान चांदनी चौक में नहीं है। लेकिन पूरा चांदनी चौक गुलशन नंदा से 'भली-भारी' परिचित है। जब गुलशन नंदा से उनकी आश्चर्यजनक कामयाली का रहस्य पूछा जाता था तो वे मुस्करा कर अपने मस्तिष्क की ओर इशारा करते हुए कहते थे, 'मैंने अपने हृदय की मुनक्कर मस्तिष्क का उपयोग किया और विनाशक तक पहुंच गया। मैं आज भी अपने उस सहायता को नहीं भूला जिसका कारण मेरे मस्तिष्क ने मुझे लेखन की ओर प्रेरित किया।' जॉर्ज ल्यूकास का कहना है कि, 'ईश्वर ने हमें एक मस्तिष्क दिया है और यह हमें बचाने वाली एकमात्र चीज़ है। सभी जीवों के पास कोई न कोई लाभ, चालाकी, पंजे, छत, ज़हर, गति या कोई न कोई चीज़ होती है, जिससे उन्हें बचे रहने में मदद मिलती है। हमारे पास सिर्फ़ मस्तिष्क है। इसलिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना दमाग़ करता है।'

सांस्कृतिक कृटनीति

जी-20 देशों के रूस व यूक्रेन युद्ध के साथे में हुए विदेश मंत्रियों के हालिया दली ईमेलन से कुछ निर्णायक हासिल होने की उम्मीद पहले भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद संचाद के लिये बेहतर मंच जरूर मिला। हालांकि, यूक्रेन इस बैठक से बहुत उम्मीद लगाए हुए था लेकिन पश्चिमी देशों के अधियक्ष नजरिये के चलते ऐसी संभावना नहीं बनी। फिर भी अमेरिका व रूस के विदेश मंत्रियों का एक मंच पर आगा महत्वपूर्ण जरूर कहा जा सकता है। भारत ने साथ किया कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद दुनिया में शांति व विकास के लिये जो दोचांचा बाबा था, वह कारणर मिढ़ह नहीं हो पाया है। उम्मीदमंत्री का दिशारा संयुक्त राष्ट्र की यांत्रियों और स्थायी सदस्य देशों की मनमानी की तरफ था। कहा जा सकता है कि इस सम्मेलन के द्वारा कई देशों के बीच द्विपक्षीय वाताएं सार्थक रही। भारत ने अमेरिकी विदेशमंत्री से बातचीत में आर्थिक व सामरिक मसलों को विस्तार दिया। इसके अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध, हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों व सामरिक महत्व की चर्चा विदेश मंत्री जयशंकर व बिल्कुन के बीच हुई। मानवाधिकारों व अन्य मुद्दों पर भारत को धेरने की कोशिशों को नकार कर अमेरिका ने अहसास कराया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र व आर्थिक शक्ति के रूप में उभरते भारत के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने भारत को एक बड़े आर्थिक व सामरिक सहयोगी के रूप में स्वीकारा है। अमेरिका व रूस को एक मंच पर शाधना भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी ही कही जाएगी। हालांकि दुसरी ओर जी-20 सम्मेलन में भले ही गतिरोध के चलते यूक्रेन मुहूर पर साझा बयान की कोशिश सिरे न चढ़ पायी हो, लेकिन दुनिया के देश भारत आकर यहां की सांस्कृतिक विविधता और जनजीवन से रूबरू जरूर हुए। उल्लेखनीय है कि जी-20 का मकसद जलवायु परिवर्तन, रोजारा, सामाजिक सुरक्षा, खेती, खाद्य सुरक्षा, पोषण, भ्रष्टाचार, प्रवासान, आतंकवाद व नरशिले पदार्थों की तकरी जैसे मुद्दों के सम्बन्ध में कोशिश करना रहा है। इन संगठनों की बैठकें लगातार चल रही हैं।

न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने शीघ्र ही विद्युत की सबसे बड़ी हो जायेगा। भारत सरकार के संघोषणा का स्वागत किया था। संस्थान ने भारत की मोलह एवं जिसमें खूब के सूचकाक के तर का स्थान 10वें बताया गया नहीं आयी जिन्होंने भारत के प्रणाली का स्वागत किया था। कहा करके कुछ तथाकथित वैश्विक दिनामी करना चाहत है। वह तो इट्री संस्थान का कोई अकलन कि कोई संस्थान हमारे देश को लेलिकन 'कड़ा-कड़ा धावा' नहीं होनी चाहिए। भारत के तकहो वाली संस्था और भारत डेंदेन वाली संस्था, दोनों, विद्युत जाती हैं। हमें ऐसी घोषणाएं करने रने के बजाय इन घोषणाओं से ज्यादा है। अथात् २ बढ़ कि ये आकड़े और अपनी स्थिति सुधारने की अकड़ों की बात ही कर लें। हमें कहता है कि आजादी का अमृत देणे में गरीबी की अन्तर्भूत खासी संख्या है; गरीबी यानी वे जो दो बक की रोटी नहीं जड़ता पाठ। अच्छा है कि हमें यह बात अच्छी नहीं लगती, पीड़ा होती है हमें, होनी भी चाहिए। पर ऐसी बात बताने वाले की नीत पर शक करने की बजाय हमें सोचना यह चाहिए कि ऐसी स्थिति बदल देती है, और कैसे बदल सकती है हम इस स्थिति को? यह तभी संभव है जब हम पहले बस्तुस्थिति को बदल सकते हैं। बस्तुस्थिति यह है कि देश की अस्सी कोरोड जनता आज भी भूखी है और हमारी सरकार को उसे मुफ्त खाड़ान देना पड़ रहा है। पिछले तीन साल से ये भारतीय सरकारी मदद पर आंश्रित होकर जीवन जी रहे हैं। अस्सी कोरोड भारतीयों को मुफ्त खाड़ान देने की इस बात को हमारी सरकार अपनी उत्तरविधि मानती है। यह उत्तरविधि नहीं, एक विवरता है और शर्मनाक स्थिति है वह। हमें इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि देश की इन्हीं बड़ी आवादी अपनी जरूरत का खाड़ान अपनी कमाई से जुटानी की स्थिति में नहीं है। यह अतिरिक्त यह है कि प्रति वर्ष आवादी वे, बेरोज़गारी, भौंकन की उत्तरविधि, आवास, सफाई आदि के मानकों को देखते हुए देश की लगभग एक-चौथाई आवादी आज गरीबी का जीवन जी रही है। हाँ ही ही में देश का वार्षिक बजट पेश किया गया था। एक जाने-माने अर्थसांस्कृति के अनुसार अपने बजट 'भाषण में वित्तमंत्री ने सिफ़ दो बार 'गोरेव' शब्द का इस्तेमाल किया है।' क्या यह स्थिति उत्तरविधि यह नहीं दिलाती जो रेत में अपना सिर गड़ा कर यह मान लेता है कि खितरा है यह नहीं? खितरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है। उसकी अनदेखी करके नहीं सहना सकता। करके भी स्थिति आजी जी रही है और इसकी अनदेखी करके नहीं सहना सकता।

विकास की विसंगति से उपजी बदहाली

योग्याणाएं तो हो रही हैं, पर हकीकित यह है कुछ ही असाधारण तमिलनाडु में एक 'एस्म' बना दिये जाने की योग्याण हुई विधानसभा में योग्याण तो हो गयी पर अभी 'एस्म' चारदीवारी भी नहीं बनी थी! कथनी और करनी का वह 3 कब मिटागा? दिसंवर-2022 में देश में बोरोजगारी की आठ प्रतिशत थी; शहरी भारत में 10.09 प्रतिशत राष्ट्रीय मानी गयी थी। इसे 3.8 प्रतिशत में ताक धूपी नहीं आती। सीधे अडाईंडे के अनुसार हमारे भारत में 3.5 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है। इनमें से 5.3 करोड़ लोग लगातार काम खो रहे हैं। डेंड करोड़ अधिक लोग ऐसे हैं जो काम करना तो चाहते हैं, एकटिव होकर काम की तलाश नहीं कर रहे अर्थात् लोग बुरी तरह निःशासा हो चक रहे। यह निराशा किसी एक में नहीं है। स्थिति गंभीर है। इस गंभीरता को समझा जा जुरोरी है। स्वास्थ बोरोजगारी का हो या महारांग का; स्वास्थ का हो या पढ़ाइ का, उत्तर स्थिति की गंभीरता को समझा इमारतीकरण की स्थिति में ही निहित है। जुमले उड़लने से नहीं बनेगी। आज हम दुनियाभर के उड़ायों को भारत 3 का निमंत्रण दे रहे हैं, उड़ायों के आने की योग्याण भी रही है। अच्छी बात है यह। पर क्या यह भी एक ढकी नहीं है कि सिल्डे आठ सालों में हर साल ओस्मतन लाख से अधिक भारतीय देश छोड़कर कर चल गये हैं कि काम की तलाश वाले नहीं हैं, परे-लिंगेखोय लोग हैं जिनकी विदेश अपने देश से ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आखिर क्यों देंगा उन्हें ज़्यादा प्यारा लग रहा है?

